वैज्ञानिक सोसायटियों तथा शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए नियम तथा दिशानिर्देश

Rules and Guidelines for Grant of Financial Assistance to Scientific Societies & Academic Institutions

भाकृअनुप
ICAR
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
Indian Council of Agricultural Research
नई दिल्ली | New Delhi
www.icar.org.in

Indian Council of Agricultural Research

Krishi Bhawan: New Delhi

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) provides financial assistance to Scientific Societies/ Academic Institutions for organizing National/ International Seminars/Symposia/Conferences and Publication of Scientific Journals. All the Scientific Societies and Academic Institutions willing for financial assistance from Indian Council of Agricultural Research may submit their applications in the desired format to the Assistant Director General (Coord.) on the following address:

The Assistant Director General (Coord.)
Room No. 204A,
Indian Council of Agricultural Research (ICAR)
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

The format for application have been given in this booklet entitled "Rules and Guidelines for grant of financial assistance to Scientific Societies and Academic Institutions for organizing National/International Seminar/Symposium and Publication of Scientific Journals".

(S.P. Kimothi)
Assistant Director General (Coord.)
ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi

वैज्ञानिक सोसायटियों तथा शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए नियम तथा दिशानिर्देश

Rules and Guidelines for Grant of Financial Assistance to Scientific Societies and Academic Institutions

भाकृअनुप
ICAR

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
NEW DELHI

www.icar.gov.in

प्रकाशन : दिसम्बर 2018
Printed : December 2018

संकलन एवं प्रकाशन
सहायक महानिदेशक (तकनीकी समन्वयन), भाकृअनुप
Compiled and published by
ADG (Tech. Co-ordination), ICAR

Laser typeset by Xpedite Computer Systems, 201 Patel House B-11, Ranjit Nagar Commercial Complex, New Delhi 110 008 and Printed at M/s Royal Offset Printers, A-89/1, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110 028

प्रक्कथन

अनुसंधान के प्रति अभिरूचि को प्रोत्साहित करने तथा उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में वैज्ञानिक सोसायटियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, द्वारा कृषि एवं संबद्ध विषयों के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिक सोसायटियों और शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने की एक योजना चलाई जा रही है ताकि वैज्ञानिक संस्थानों एवं सोसायटियों को उनके जर्नल्स के प्रकाशन तथा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों पर होने वाले आंशिक व्यय को वहन करने में सहायता की जा सके। कृषि संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में अयोजित हो रहे सम्मेलनों एवं जर्नल्स के प्रकाशन के उद्देश्य एवं गुणवत्ता में अत्यधिक विविधता विद्यमान है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भाकृअप द्वारा सोसायटियों के समुचित मूल्यांकन के लिए मानदण्ड विकसित किए गए हैं। देश के बदलते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की समीक्षा करने तथा विगत अनुभव के प्रकाश में, उनमें संशोधन करने के लिए भाकृअप द्वारा समुचित एवं समय से निर्णय लेने के लिए डॉ. जे.सी. कत्याल, पूर्व कुलपति सीसीएसएचएयू, हिसार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। स्थायी समिति की दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को हुई 47वीं बैठक में इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस पर विस्तार से चर्चा की गई। रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त सिफारिशों को सम्मिलित किया गया और दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को आकृअप की शासी निकाय की बैठक में इन दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया। इन दिशानिर्देशों के ब्यौरा सुलभ संदर्भ के लिए प्रस्तुत पुस्तिका में दिया गया है। इन दिशानिर्देशों के आधार पर, संबंधित विषय वस्तु प्रभागों द्वारा आवेदनों को परखने हेतु प्रमुख मापदंड इस प्रक्रिया में सहायता देने के लिए तैयार किए गए हैं जिनका ब्यौरा भी इन दिशानिर्देशों में शामिल है।

त्रि. मोहपात्र

(त्रिलोचन मोहपात्र)
सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
और
महा निदेशक
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन

नई दिल्ली–भारत

Foreword

Scientific Societies play a major role in promoting interest and enhancing quality of research. The Indian Council of Agricultural Research, New Delhi has been operating a scheme for grant of financial assistance to scientific societies and academic institutions engaged in the field of agriculture and allied disciplines for meeting part of expenditure on publication of their journals and for holding international/national seminars/symposia out of Funds of Scheme Societies/ Award/Regional Committee subhead Support to Scientific Societies. There exists a considerable variation in the purpose and quality of conferences and publication of Journals. The criteria for evaluation of these activities of Societies have been evolved during past years. The Rules and Guidelines for the scheme were revised and approved by the Governing Body of ICAR in its 242nd Meeting held on 29th November 2017. In view of the changed economic scenario of the country, a Committee was constituted under the Chairmanship of Dr J.C. Katyal, Former Vice-Chancellor, CCSHAU, Hisar to review the existing rules, regulations and guidelines and revise them in the light of past experience to take appropriate and timely decision by the ICAR.

The report of the Committee was presented before the Standing Committee in its 47th Meeting on 24 November 2017 and it was discussed in detail. The recommendations obtained on the report were incorporated and it was put up in GB Meeting on 29th November 2017. The guidelines were got approved and are presented here for ready reference. Based on these guidelines, the criteria for screening of applications by the respective SMDs were developed which are appended for facilitating the process.

(Trilochan Mohapatra)
Secretary
Department of Agricultural Research & Education
and
Director General
Indian Council of Agricultural Research
Dr Rjendra Prasad Road, Krishi Bhawan
New Delhi-India

Contents

वैज्ञानिक सोसायटियों तथा शैक्षणिक संस्थाना को वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए नियम तथा दिशानिर्देश		1
अनुबंध–I	पशु विज्ञान सहित कृषि और सम्बद्ध विषयों में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/ संगोष्ठियों/सम्मेलनों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वैज्ञानिक सोसाइटियों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता लेने के लिए आवेदन का प्रपत्र	13
अनुबंध–I क	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भाकृअप से वित्तीय अनुदान लेने के लिए आवेदन का संक्षिप्त प्रपत्र	18
अनुबंध–II	पशु विज्ञानों एवं संबद्ध विषयों सहित कृषि में जर्नल्स के प्रकाशन हेतु वैज्ञानिक सोसाइटियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वित्तीमय सहायता की मांग करने हेतु आवेदन	19
अनुबंध III	जांच सूची (सम्मेलन/संगोष्ठी/कॉन्फ्रेंस के आयोजन हेतु)	24
अनुबंध IV	जांच सूची (जर्नल के प्रकाशन के लिए सहयोग)	26
अनुबंध V	भाकृअप द्वारा वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों को भेजे जाने वाले मंजूरी पत्र में सामान्यतः शामिल होने वाली निबंधन एवं शर्तें	27
अनुबंध–VI	सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों पर वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों से रिपोर्ट और सिफारिशों के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रपत्र	29
अनुबंध–VII	वचन–पत्र	30
अनुबंध–VIII	अनुदान के ऑनलाइन अंतरण के लिए बैंक विवरण	31
Rules and Guidelines for Grant of Financial Assistance to Scientific Societies and Academic Institutions		33
Annexure I	Application Form for seeking Financial Assistance by the Scientific Societies and Academic Institutions for holding National/International seminars/Symposia/ Conferences and other related events in agriculture including animal sciences and allied subjects	42
Annexure IA	Summary format of application on seeking financial grant from the icar for holding national/international seminar/ symposium/ conference and any other related event	46
Annexure II	Application for seeking Financial Assistance by the Scientific Societies and Academic Institutions for publication of the Journals in Agriculture including Animal Sciences and Allied Subjects	47

Annexure III	Check List (Support for holding Seminar/Symposium/ Conference)	51
Annexure IV	Check List (Support for Publication of Journals)	53
Annexure V	Terms and Conditions as normally contained in the Sanction Letter by the ICAR to the Scientific and Academic Institutions	54
Annexure VI	Format for Submission of Report and Recommendations from the Scientific and Academic Institutions on the Seminars/ Symposia/Conferences and other related events	55
Annexure VII	Undertaking	56
Annexure VIII	Bank Details for On-line transfer of Grant	57

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/ परिसंवादों/ सम्मेलनों के आयोजन एवं वैज्ञानिक पत्र–पत्रिकाओं (जर्नल) के प्रकाशन के लिए वैज्ञानिक समितियों (सोसायटीज) एवं शैक्षणिक संस्थानों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के नियम एवं दिशा–निर्देश

1.0 योजना का नाम–संगोष्ठियां/परिसंवाद/सम्मेलन और अन्य संबद्ध कार्यक्रम आयोजित करने तथा वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिक समितियों एवं शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2.0 योजना का मुख्य उद्देश्यः

कृषि एवं संवर्गी विज्ञानों के विस्तृत क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान/शिक्षा/विस्तार शिक्षा/नीतिगत मुद्दों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भाकृअनुप की योजना–निधियों से वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशित करने और संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन/कांग्रेस और अन्य/संबद्ध कार्यक्रम (एआईसीआरपी कार्यशालाओं को छोड़कर) आयोजित करने के लिए किए गए व्यय की आंशिक पूर्ति करना।

3.0 पात्रता मानदंड–निम्नलिखित संगठन अनुदान के लिए पात्र हैंः

3.1 वैज्ञानिक/व्या–वसायिक समितियां/संस्थाएंः

3.1.1 ये, सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 या राज्य –सरकारों के ऐसे अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत होनी चाहिए।

3.1.2 कृषि एवं संवर्गी विज्ञानों के विस्तृत क्षेत्र में अनुसंधान/शिक्षा/विस्तार शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सक्रिय रूप से कार्यरत हों।

3.1.3 किसी क्षेत्र, धर्म, प्रजाति, लिंग, जाति, पंथ या भाषा का ध्यान रखे बिना नियमानुसार भारत के सभी पात्र नागरिकों के लिए उनकी सदस्यता खुली होनी चाहिए।

3.1.4 जिनके 100 से अधिक सदस्य होंगे केवल वे ही सहायता के लिए पात्र होंगी बर्शते कि वे किसी विशेषीकृत/उभरते हुए विषय–क्षेत्र या विषय को लेकर गठित न की गई हों और उस संबंध में इसका समुचित औचित्य उपलब्ध कराया गया हो।

3.2 सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक संगठन

3.2.1 जो कृषि एवं संवर्गी विषयों के क्षेत्रों में अनुसंधान/शिक्षा/विस्तार शिक्षा प्रदान कर रहे है और भाकृअनुप द्वारा मान्यता–प्राप्त हैं।

3.2.2 जिनकी सदस्यता, क्षेत्र, धर्म, प्रजाति, लिंग, जाति, पंथ या भाषा का भेदभाव किए बिना भारत के सभी पात्र नागरिकों के लिए खुली है।

3.2.3 गैर–सरकारी संगठनों/गैर–शैक्षणिक निकायों को निधियां केवल तभी प्रदान की जाएंगी, जब वे सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हों और विधिवत् रूप से मान्यता–प्राप्त/पंजीकृत शैक्षणिक निकायों/व्या वसायिक समितियों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करती हों। गैर सरकारी संगठनों/गैर–शैक्षणिक निकायों को, निधियां प्रदान करने संबंधी उनके अनुरोध को स्वीकार करने से पहले, शैक्षणिक/व्यायवसायिक निकायों से सहयोग प्राप्त होने के संबंध में एक वचन– पत्र प्रस्तुत करना होगा (अनुबंध– (vii).

3.3 भाकृअनुप मुख्यालय एवं भाकृअनुप संस्थान

3.4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय

3.5 सामान्य विश्वविद्यालय–जो कृषि एवं संवर्गी विज्ञानों के क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने एवं अनुसंधान करने हेतु कार्यरत हैं और जो या तो राज्य के विधान मंडल या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं या यूजीसी द्वारा मान्यता–प्राप्त हैं।

4.0 अनुदान का स्वरूप एवं मात्रा

4.1 अनुदान का स्वरूप

4.1.1 वैज्ञानिक/व्यावसायिक समितियों के जर्नल के प्रकाशन के लिए।

4.1.2 वैज्ञानिक समितियों, सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक निकायों और कृषि एवं संवर्गी विज्ञानों में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान–कार्य कराने वाले सामान्य विश्वविद्यालयों द्वारा चुने गए विषय पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद/ संगोष्ठी/ सम्मेलन के आयोजन के लिए।

4.1.3 वैज्ञानिक/व्यावसायिक समितियों, सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक निकायों, भाकृअनुप मुख्यालय और इसके संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि तथा संवर्गी विज्ञानों में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान–कार्य कराने वाले सामान्य विश्वविद्यालयों द्वारा भाकृअनुप–निर्धारित प्राथमिकता–प्राप्त विषय–क्षेत्र पर राष्ट्रीय संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन और अन्य संबद्ध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए।

4.1.4 उपयोगी एवं कार्यान्वयन योग्य सिफारिशें प्राप्त करने के लिए, एक विशिष्ट अवधि के भीतर अंदर राष्ट्रीय संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन का आयोजन करने के लिए सामयिक प्रासंगिकता एवं महत्व के प्राथमिकता प्राप्त विषय–क्षेत्रों

को प्रायोजित करने के लिए। भाकृअनुप, संगोष्ठी/परिसंवाद आयोजित करने के लिए अच्छे प्रस्ताव मांगने हेतु, ऐसे क्षेत्रों की सूची अपनी वेबसाइट सहित व्यापक स्तर पर सभी संस्थानों (भाकृअनुप संस्थानों सहित), विश्वविद्यालयों–जिसमें सामान्य एवं कृषि विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं और वैज्ञानिक समितियों को परिचालित करेगा। किसी भी उपयुक्त मेजबान संस्थान का चयन प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा।

4.2 अनुदान की मात्रा

4.2.1 संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन/किसी अन्य संबद्ध कार्यक्रम के आयोजन के लिए अलग–अलग समिति/संस्था/संस्थान को वित्तीय सहायता की मात्रा का निर्धारण, उसकी प्रासंगिकता एवं कार्य–निष्पादन के साथ–साथ प्रस्ताव के गुणों को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा। तथापि, अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय द्वारा चुने गए विषय या भाकृअनुप द्वारा सुझाए गए प्राथमिकता प्राप्त विषय–क्षेत्र पर राष्ट्रीय संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन का आयोजन करने के लिए रू. 5.0 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सहायता राशि मामले दर मामले के आधार पर निर्धारित की जाएगी, परंतु यह रू. 10.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

तकनीकी समन्वय प्रभाग, एसएमडी से प्राथमिकता प्राप्त. विषय–क्षेत्रों की सूची प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करेगा, जिसे प्रत्येक वर्ष संकलित एवं अद्यतन किया जाएगा।

अनुदान प्राप्तकर्ता निकाय अग्रलिखित आयोजनों के लिए निर्धारित अनुदान–राशि प्राप्त करने के पात्र हैं: (i) राष्ट्रीय कार्यक्रम, यदि प्रतिभागियों की संख्या >100 से अधिक है और (ii) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन के लिए, इसमें भी यदि प्रतिभागियों की संख्या >100 से अधिक है और इनमें कम से कम 5% अन्य देशों से होने चाहिएं। यदि प्रतिभागियों की संख्या <100 से है, तो अर्हक–राशि आनुपातिक आधार पर दी जाएगी। यदि प्रतिभागियों की संख्या <50 से कम है, तो कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान/समिति/निकाय को कार्यक्रम के आयोजन के छह मास के भीतर लेखा परीक्षा उपयोगिता प्रमाण–पत्र (एयूसी) प्रस्तुत करने के लिए एक वचन–पत्र देना होगा। यदि एयूसी निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होता है, तो प्राप्तकर्ता संस्थान पूर्व में प्राप्त की गई राशि को लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे मामलों में, जहां पूर्व में प्राप्त अनुदान 3 महीने के भीतर

वापस नहीं दिया जाता है, वहां उपयुक्त प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाएगी। ऐसी समितियों/संगठनों पर, भविष्य में परिषद से वित्तीय सहायता लेने पर रोक भी लगा दी जाएगी।

एयूसी केवल सीएजी के पैनल वाली चार्टर्ड एकाउंटिड (सीए) फर्म द्वारा ही जारी किया जाए और भाकृअनुप चुनिंदा मामलों में उनकी उत्तर लेखा–परीक्षा भी कर सकती है।

4.2.2 जर्नल के प्रकाशन के लिए, 'ए' श्रेणी की पत्र–पत्रिकाओं (एनएएएस रेटिंगः 6.0 और इससे ऊपर) के लिए रू. 3.0 लाख, 'बी' श्रणी की पत्र–पत्रिकाओं (''एनएएएस'' रेटिंगः 4.5 और <6.0 के बीच) के लिए रू. 2.0 लाख और 'सी' श्रेणी की पत्र–पत्रिकाओं (एनएएएस रेटिंगः 3.0 और <4.5 से के बीच) के लिए रू. 1.50 लाख सहायता–राशि प्रदान की जाएगी। एनएएएस रेटिंग <3.00 से वाली पत्र–पत्रिकाओं के लिए कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

केवल व्यावसायिक पंजीकृत समितियां ही जर्नल के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।

अनुदान प्राप्तकर्ता व्यावसायिक समिति/निकाय वार्षिक खंड के अंतिम अंक के प्रकाशन के बाद छह मास के भीतर एयूसी प्रस्तुत करने के संबंध में एक वचन–पत्र देगा। यदि एयूसी निर्धारित समय में प्राप्त नहीं होता है, तो समिति पहले प्राप्त की गई राशि को लौटाने की हकदार होगी। ऐसे मामलों में, जहां पूर्व में प्राप्त अनुदान 3 महीने के भीतर वापस नहीं किया जाता हैं, वहां उपयुक्त प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाएगी। ऐसी समितियों/संगठनों पर, भविष्यप में परिषद से वित्तीय सहायता लेने पर रोक भी लगा दी जाएगी।

एयूसी केवल सीएजी के पैनल वाली चार्टर्ड एकाउंटिड (सीए) फर्म द्वारा ही जारी किया जाए और भाकृअनुप चुनिंदा मामलों में उनकी उत्तर लेखा–परीक्षा भी कर सकता है।

4.2.3 किसी जर्नल के प्रकाशन के लिए अनुदान बराबर के आधार पर अर्थात अनुदान–प्राप्तकर्ता समिति को भी समग्रतः पत्र–पत्रिका के प्रकाशन से संबद्ध व्यय का कम से कम 50%, अनुदान–राशि के बराबर की राशि के व्यय को वहन करना होगा।

4.2.4 पत्र–पत्रिका के प्रकाशन के लिए, समिति को परिषद की सहायता केवल एक पत्र–पत्रिका के प्रकाशन तक प्रतिबंधित होगी।

4.3 अनुदान की आवृतिः एक पंजीकृत समिति/संस्था/निकाय/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/ सामान्य विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/ परिसंवाद/ सम्मेलन और अन्य संबद्ध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए परिषद की वित्तीय सहायता के लिए एक वर्ष में एक से अधिक बार पात्र नहीं होगा। पत्र–पत्रिका नियम 3.0 और 4.2 के अनुसार वार्षिक अनुदान के लिए पात्र होगी।

5.0 अनुदान का प्रयोजन एवं उपयोग

5.1 वैज्ञानिक पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए (हार्ड कॉपी/ऑन लाइन) (विवरण अनुबंध–II में दिए गए हैं)।

5.1.1 सचिवालीय सहायता

5.1.2 संपादकीय कर्मचारियों को मानदेय

5.1.3 कागज की लागत सहित लेखन सामग्री, डाक टिकटे एवं लेखों का दोहराया जाना; यदि पत्र–पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक रूप में (ऑन लाइन पत्र–पत्रिका) प्रकाशित की जाती है, तो इसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.1.4 मुद्रण एवं जिल्दसाजी आदि की लागत।

5.1.5 मुद्रणालय से संबंधित संगठन के पंजीकृत कार्यालय तक भाड़े की लागत जैसे प्रासंगिक व्यय ; यदि पत्र–पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक रूप में (ऑन लाइन पत्र–पत्रिका) प्रकाशित की जाती है, तो इसकी अनुमति नहीं होगी।

5.1.6 प्रासंगिक व्यय में, ऑन लाइन पत्र–पत्रिका के मामले में सर्वर हॉस्टिंग प्रभार भी सम्मिलित होंगे।

5.2 संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन और अन्य कोई संबद्ध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए (विवरण अनुबंध–I में दिए गए हैं)।

5.2.1 सचिवालीय सहायता

5.2.2 लेखन सामग्री

5.2.3 प्रासंगिक प्रभार अर्थात वाहन, श्रव्य–दृश्य–उपकरण, ऑडिटोरियम को किराए पर लेना।

5.2.4 वैज्ञानिक प्रदर्शनियों पोस्टर प्रस्तुतिकरणों का आयोजन करना

5.2.5 परिपत्रों/सारंशों/कार्यवाहियों/आमंत्रित व्याखानों का मुद्रण

5.2.6 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिसंवादों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में अधिक से अधिक सोलह आमंत्रितियों के यात्रा–व्यय की पूर्ति करना, जिनमें से दस वक्ता/अध्यक्ष होंगे, और छह युवा वैज्ञानिक/पीएच.डी के विद्यार्थी (35 वर्ष से कम आयु के) जिनके प्रस्तुतिकरण (मौखिक या पोस्टर) एक विधिवत् गठित समिति द्वारा उत्कृष्ट पाए गए हों। बाहर के विशेषज्ञों की अधिकतम संख्या 2 तक होगी और उनकी स्थानीय आतिथ्य–लागत को भी वहन किया जाएगा।

6. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

6.1 परिसंवाद/संगोष्ठी /सम्मेलन के आयोजन और जर्नल के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा।

6.2 आवेदन, भाकृअप द्वारा निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध–I अनुबंध– Iए और अनुबंध–II) में करना चाहिए, जिसकी प्रति अनुरोध करके भाकृअनुप से प्राप्त की जा सकती है या भाकृअनुप की वेबसाइट www.icar.org.in से डाऊनलोड की जा सकती है। जर्नल के प्रकाशन के लिए अनुदान हेतु प्रतिवर्ष 15 सितंबर तक और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुदान हेतु 6.6 के अंतर्गत दी गई समय–सीमा के अनुसार, प्रत्येक मामले में पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन विचारार्थ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

6.3 आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, समिति/संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गत वर्षों में परिषद द्वारा जारी किए गए अनुदानों का लेखा–परीक्षा उपयोगिता प्रमाण–पत्र (एयूसी) परिषद को प्रस्तुत किया गया है और इसकी पावती ली गई है। किसी भी ऐसी समिति/संगठन को अनुदान–राशि स्वीएकृत या जारी नहीं की जाएगी, जिसने पूर्व में प्राप्त अनुदान के संबंध में ए.यू.सी प्रस्तुत नहीं किया है।

6.4 आवेदन पर संस्थान के अध्यक्ष/सभापति/प्रमुख/विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति हस्ताक्षर होंगे। प्रमुखतः आवेदन को ऑन–लाइन या ई–मेल द्वारा ही भेजा जाना चाहिए।

6.5 जो आवेदन शर्तों को पूरी नहीं करते या अपूर्ण हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे आवेदनों की एक सूची सूचना के लिए स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

6.6 नीचे दी गई नियम तारीखों के बाद प्राप्त होने वाले संगोष्ठियों/ परिसंवादों/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों के आयोजन के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय कार्यक्रमः

किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम, संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के आयोजन हेतु प्रतिवेदन नियत तिथि से तीन (3) महीने पहले भेजना अनिवार्य होगा।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमः

किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, संगोष्ठी/परिसंवाद/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के आयोजन हेतु प्रतिवेदन नियत तिथि से छह (6) महीने पहले भेजना अनिवार्य होगा।

6.7 जर्नल के प्रकाशन के लिए (अनुबंध II)

जर्नल के प्रकाशन के लिए परिषद से वार्षिक वित्तीय सहायता के लिए आग्रह करने वाली सोसायटीज/निकायों को जर्नल के नवीनतम अंक की कम से कम दो प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए, जो 6.2, 6.3 एवं 6.4 के अनुरूप एयूसी एवं आवेदन के साथ अनुसूची से एक वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बाद के वर्षों में, वार्षिक अनुदान के नवीकरण के लिए अनुशंसित प्रपत्र (अनुबंध प्प्) में आवेदन अधिक से अधिक उस वर्ष की 31 जुलाई तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

6.8 जो आवेदन शर्तों को पूरी नहीं करते या अपूर्ण हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, ऐसे आवेदनों की एक सूची सूचना के लिए स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

6.9 सोसायटीज अधिनियम 1860 के तहत एक वैध पंजीकरण या नीति आयोग के साथ पंजीकृत सोसायटी भाकृअप से अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगी। सोसायटी को सक्रिय होना चाहिए और वह अपने संविधान के अनुरूप प्रदर्शन कर रही हो।

6.10 आवेदन के साथ समुचित रूप से भरी हुई जांच सूची (अनुबंध–IV) प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें विफल रहने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.11 आयोजक समिति/निकाय की तरफ से नोडल मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय से कम से कम तीन महीने अग्रिम पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/परिसंवादों/सम्मेलनों के लिए वित्तीय सहायता जारी करने के लिए किसी भी आवेदन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबतक कि ऐसी मंजूरी उपलब्ध नहीं कराई जाती।

7. भाकृअप में आवेदन का मूल्यांकन

7.1 जर्नल के प्रकाशन के लिए

7.1.1 अनुदान के उद्देश्य से जर्नल के मानदंड का मूल्यांकन जर्नल की एनएएएस रेटिंग के आधार पर किया जाएगा और यह तीनों वर्गों नामतः क, ख, एवं ग में रखा जाएगा। सहायता के परिणाम पर निर्णय वर्ग के अनुरूप किया जाएगा जैसा कि पहले (4.2.2) में वर्णित है।

7.1.2 मूल्यांकन मानदंड के आधार पर, जर्नल को तीन वर्गों नामतः क, ख, ग, में रखा जाएगा और सहायता का परिणाम वर्ग के अनुरूप उपलब्ध कराया जाएगा। जो जर्नल 'ग' वर्ग में भी नहीं आते, उन्हैं सहायता नहीं दी जाएगी।

7.1.3 परिषद से सहायता प्राप्त करने वाले मानक की समीक्षा एनएएएस रेटिंग के आधार पर सावधिक रूप से की जाएगी। जो जर्नल (ब एवं ग वर्ग) उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित करते हैं, उनका उन्नयन किया जा सकता है, जबकि जिन जर्नलों के प्रदर्शन में लगातार उल्लेखनीय गिरावट देखी जाती है और जो गुणवत्ता में सुधार लाने में विफल रहते हैं, उन्हें डाऊनग्रेड/चरणबद्ध तरीकों से समाप्त किया जा सकता है।

7.2 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद/संगोष्ठी/सम्मेलन के आयोजन के लिए (अनुबंध I एवं Iए)

7.2.1 क्या थीम की भाकृअप अधिदेश के लिए विशिष्ट प्रासंगिकता है? इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

7.2.2 थीम की वैज्ञानिक संरचना और संसाधन व्यक्ति, प्रतिभागियों की संख्या (भारतीय एवं विदेशी), आदि के विवरण क्या हैं?

7.2.3 क्या, पूर्व में अन्य किसी संगठन द्वारा इस मुद्दे का समाधान करने का प्रयास किया गया है? अगर ऐसा है तो इसका ठोस परिणाम क्या रहा है और किस प्रकार प्रस्तावित थीम कार्यक्रम को और अधिक सुध्ढ़ बनाएगी?

7.2.4 प्रस्तावक निकाय की व्यावसायिक स्थिति और ट्रैक रिकार्ड क्या है?

7.2.5 क्या प्रस्तावक निकाय ने पूर्व में ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन किया है? अगर ऐसा है तो वैज्ञानिक कार्यक्रम, संसाधन व्यक्ति (भारतीय एवं विदेशी), कार्यक्रम के परिणाम, किया गया व्यय, विज्ञान, देश, क्षेत्र या विश्व) आदि को होने वाले लाभ के विवरण

7.2.6 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों के समाधान में प्रत्याशित परिणाम किस प्रकार से उपयोगी होंगे?

7.2.7 क्या संगठन ने आवेदन के साथ (अनुबंध–III) समुचित रूप से भरी हुई जांच सूची प्रस्तुत किया है, इसमें विफल रहने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कुल अनुमानित व्यय भाकृअप एवं अन्य एजेंसियों/स्रोतों से आग्रह की गई सहायता की राशि का परिमाण अनुबंध–I में दी जाए

8. भाकृअप में आवेदन पर कार्यवाही

8.1 पूर्ण रूप से भरे हुए सभी आवेदनों की फाइल पर कार्यवाही भाकृअप के तकनीकी समन्वय अनुभाग द्वारा की जाएगी। भाकृअप की वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावित संगोष्ठी/परिसंवाद/सम्मेलन की थीम के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य एवं महत्व तथा जर्नलों की गुणवत्ता् के संदर्भ में उपयुक्तता, जिन्हें प्रकाशन की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य जर्नलों की भाकृअप की वर्तमान सूची में शामिल नही किया गया था, और अनुशंसित हो जाने के मामले में अनुदान की राशि, को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उपयुक्तता के बारे में संबंधित विषय वस्तु प्रभागों की टिप्पणियां प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद ऐसे, नए जर्नलों को उनकी गुणवत्ता के और मूल्यांकन के लिए एक उप–समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बाद में, एसएमडी/उप–समिति की अनुशंसाओं के साथ आवेदनों को भाकृअप स्थायी समिति के विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। भाकृअप स्थायी समिति की अनुशंसाओं पर फाइल पर भाकृअप के महानिदेशक का अनुमोदन किया जाएगा।

8.2 सेमिनार/संगोष्ठी आयोजित करने अथवा पत्र–पत्रिकाओं के मुद्रण और प्रकाशन आदि के लिए सभी प्रस्ताव/अनुरोध यदि एक बार वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित हो जाते है तो इन्हें समान उद्देश्य के लिए अतिरिक्त अनुदान हेतु तब तक कार्य–सूची में शामिल नही किया जाएगा जब तक इसका पिछली बैठक कार्यवाहियों में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न किया गया हो।

8.3 महानिदेशक, भाकृअप स्थायी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में आपवादिक मामलों में सोसायटियों/निकायों के पक्ष में अनुदान मंजूर कर सकते है जिसका बाद में स्थायी समिति द्वारा अनुसमर्थन किया जाएगा।

9. विभिन्न शर्तों का उल्लेख करते हुए भाकृअप द्वारा मंजूरी जारी करना

9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित वित्तीय सहायता की मंजूरी जारी की जाएगी जिसमें अनुबंध–V में उल्लिखित विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें शामिल होंगी

9.2 फीडबैक प्राप्त करने के लिए परिषद द्वारा भाकृअप से प्रत्येक उन सभी परिसंवाद/संगोष्ठी/सेमिनार/सम्मेलन के लिए बिना किसी प्रभारी के वैज्ञानिक प्रतिनियुक्त/ /नामित किए जाएंगे जिन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। नामांकन नजदीकी भाकृअप संस्थानों से किए जाएं, यदि भाकृअप मुख्यालय से ऐसा करना संभव नही है।

10. गारंटी सोसायटी/संस्थान द्वारा दिया जाने वाला वचन–पत्र

गारंटी सोसायटी/संस्थान को एक वचन–पत्र देना होगा कि वह अनुदान की शर्तों द्वारा शासित होने तथा अनुदान के फलस्वरूप स्थायी या अर्द्ध–स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन या अधिग्रहण के संबंध में विस्तार से सूचित करने के लिए सहमत है।

11. अनुदान जारी करना

सोसायटी/निकाय को वित्तीय सहायता उसके द्वारा स्वीकृति–पत्र यथा उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के बाद जारी की जाएगी। आरम्भ में, परिषद द्वारा कुल स्वीकृत अनुदान की 3/4 धनराशि जारी की जाएगी बशर्ते सोसायटी/निकाय द्वारा पिछले वर्ष में प्राप्त भाकृअप से अनुदान, यदि कोई हो, के लिए एयूसी प्रस्तुत किया जाता है और जर्नल के अन्तिम अंक (अनुसूची

से पिछले एक वर्ष से अधिक का न हो) की दो प्रतियां भाकृअप को उपलब्ध की जाती हैं। राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीदय सेमिनार/संगोष्ठी/परिसंवाद/ सम्मेलन का आयोजन करने से लगभग एक मास पहले अनुदान जारी करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। परिषद से प्राप्त अनुदान के लिए एयूसी और निर्धारित प्रोफार्म (अनुबंध–VI) में सूचना प्राप्त होने तथा सेमिनार/संगोष्ठी /सम्मेलन और किसी अन्य संबंधित कार्यक्रम की विस्तृत कार्यवाही प्राप्त होने के बाद शेष धनराशि ¼ जारी की जाएगी।

12. गारंटी सोसायटी/निकाय/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा लेखे रखना

गारंटी सोसायटी/निकाय/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा परिषद से उसे प्राप्त अनुदान का समुचित लेखा रखा जाएगा।

12.1 गारंटी सोसायटी/निकाय/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा परिषद से उसे प्राप्त अनुदान का समुचित लेखा रखा जाएगा

12.2 गारंटी सोसायटी/निकाय के लिए यह अपेक्षित है कि वह किसी मान्यताप्राप्ते लेखा परीक्षक/संविधिक लेख परीक्षक द्वारा निधिवत् रूप से लेखापरीक्षित अपने वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र अगले वर्ष की जुलाई तक परिषद को प्रस्तुत करे।

12.3 गारंटी सोसायटी/निकाय द्वारा प्रस्तुत लेखों में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि जिस विशिष्ट प्रयोजन/प्रयोजनों के लिए परिषद द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन/प्रयोजनाओं के लिए किया गया है।

12.4 जब तक पहले के प्राप्त अनुदान के संबंध में गारंटी सोसायटी द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र परिषद द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, तब तक परिषद द्वारा उस संगठन को कोई और अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

12.5 किसी वर्ष विशेष के लिए जारी किए गए अनुदान का उपयोग केवल उसी वर्ष के दौरान किया जाएगा। तथापि, यदि किसी कारण से सोसायटी/निकाय/संस्थान उस वर्ष विशेष में अनुदान का उपयोग नहीं कर सका है तो वह परिषद को वापस कर दिया जाएगा।

12.6 गारंटी सोसायटी/निकाय/संस्थान द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से परिषद द्वारा दिए गए अनुदान में से अधिग्रहीत की गई परिसम्पत्तियां को परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना बेची नहीं जाएगी, उन पर ऋण नहीं लिया जाएगा अथवा उनका उपयोग उन प्रयोजनों के सिवाय अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा जिनके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

12.7 गारंटी सोसायटी/निकाय/संस्थान द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से परिषद द्वारा दिए गए अनुदान में से अधिग्रहीत की गई स्थायी या अद्ध–स्थायी परिसम्पत्तियों को उसके द्वारा फार्म जीएफआर 19 में एक रजिस्टर दर्ज करना अपेक्षित होगा और उसकी एक प्रति परिषद को वार्षिक रूप से भेजी जाएगी।

13. कार्यकलाप/कार्यक्रम के परिणाम और सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन के मामले में अनुवर्ती कार्रवाई की मानीटरिंग

सोसायटी/संस्थान/निकाय के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध–VI) में एक फीडबैक रिपोर्ट तथा सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन की कार्यवाही दो मास के अन्दर प्रस्तुत करेगा। सोसायटियों/निकायों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे संबंधित संगठन/संस्थान को सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन और की सिफारिशें कार्यान्वयन के भेजेंगे और उसकी सूचना भाकृअप को भी भेजेंगे। फीडबैक रिपोर्ट और कार्यवाहियों पर संबंधित उप महानिदेशक की टिप्पाणियां प्राप्त की जाएंगी। और सन्तोषजनक टिप्पणियों तथा स्वीकृत अनुदान के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर शेष धनराशि (कुल स्वीकृत अनुदान का ¼ जारी की जाएगी। परिषद संबंधित सिफारिशें अपने संस्थानों को विचारार्थ और उनके कार्यक्रमों में शामिल करने हेतु भी सूचित करेगी।

14. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को लिखित में कारण रिकार्ड करते हुए, उपर उल्लिखित किसी शर्त को शिथिल करने की शक्ति होगी।

अनुबंध–I

पशु विज्ञान सहित कृषि और सम्बद्ध विषयों में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वैज्ञानिक सोसाइटियों और शैक्षिक संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता लेने के लिए आवेदन का प्रपत्र

1.	कार्यक्रम का स्तर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय		
2.	सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन का शीर्षक		
3.	वैज्ञानिक सोसाइटी/एनजीओ/शैक्षिक संस्थान का नाम और पूरा पता		
4.	कार्यालय के पदाधिकारी का नाम और पूरा पता जिसके साथ पत्र–व्यवहार किया जा सकता है और उसका टेलीफोन नम्बर एवं ई–मेल पता		
5.	स्थापना का वर्ष		
6.	क्या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या केंद्रीय/राज्य विधान मंडल के किसी ऐसे अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है (यदि लागू हो) (कृपया पंजीकरण संख्या और तारीख का उल्लेख करें		
7.	कया सोसाइटी नीति आयोग के पास पंजीकृत है? कृपया निम्नलिखित ब्यौरा दें:	शुल्क (रू.)	संख्या
	i. पेन नं.		
	ii. नीति आयोग से प्राप्त पंजीकरण संख्या		
	iii. हस्ताक्षरकर्ता और संबंधित कार्यकारी समिति के सदस्य का आधार नं.		
8.	सदस्यता की पात्रता के मानदण्ड का उल्लेख करें		
9.	सदस्यता शुल्क और सदस्यो की संख्यां शुल्क (रूपये) संख्या		
	i. आजीवन सदस्य		
	ii. संस्थागत सदस्य		
	iii. वैज्ञानिक सदस्य		

	iv. छात्र सदस्य			
	v. अन्य सदस्य (निर्दिष्ट करें)			
	कुल			
10.	पिछले वर्ष के दौरान सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि			
11.	सोसाइटी/संस्थान का मुख्य कार्य क्षेत्र			
12.	संगठन द्वारा आरम्भ किए गए कार्यकलाप और उसके भावी कार्यक्रमों का सार			
	i. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठियां और उनके परिणाम/अनुवर्ती कार्रवाई			
	ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित किए गए जर्नल, न्यूज लेटर और कार्यवाहियां			
	iii. पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित किए गए अन्य प्रकाशन अर्थात् इश्तहार, ब्रोशर, पर्चे आदि			
	iv. भावी कार्यक्रम			
	v. क्या उपर्युक्त प्रकाशनों की प्रतियां भाकृअप के पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं			
13.	सोसाइटी की कार्यकारी समिति/परिषद			
	i. वर्तमान स्थिति			
	ii. चुनाव की पद्धति/नियुक्ति का तरीका			
14.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संगठन की वित्तीय स्थिति	वर्ष	रसीद (रू.)	व्यय (रू.)
15.	क्याप संगठन के पिछले वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है ? यदि हो, तो उसकी प्रति संलग्न की जाए।			

16.	यदि परिषद द्वारा अनुदान स्वीतकृत किया जाता है तो क्याा संगठन अनुदान का एक अलग खाता रखने के लिए सहमत है?	
17.	पिछले तीन वर्षों के दौरान परिषद से पहले प्राप्त की गई वित्तीय सहायता (रूपये में) का ब्यौरा और यह किस प्रयोजन के लिए प्राप्त की गई थी	

वर्ष	अनुदान राशि	प्रयोजन (संक्षेप में)	किया गया कुल व्यय	प्रयुक्त अनुदान की राशि	क्या परिषद ने एयूसी स्वीकार है?	टिप्पणी

18. वित्तीय सहायता का विवरण (राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकतम सीमा 5.00 लाख रूपये है और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकतम सीमा 10.00 लाख रूपये हैं)

	व्यय की मद	राष्ट्रीय कार्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम
	क. सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन और अन्य संबंधित कार्यक्रम	रूपये (लाख में)	रूपये (लाख में)
	i. सचिवालय सहायता; स्टेशनरी (कागज, डाक और आर्टिकल्स का डुप्लीकेशन); प्रासंगिक व्यय (अर्थात वाहन और श्रव्य –दृश्यं उपकरण किराये पर लेना, कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सुविधाओं को किराये पर लेना जिसमें खुले मैदान में पंडाल/सभागार का व्यय भी शामिल है)	1.50	2.50
	ii. पोस्टंर प्रस्तुतियों का आयोजन करने के लिए	0.50	1.00
	iii. विशेष आमंत्रितियों, राष्ट्रीय विशेषज्ञों/वक्ताओं/अध्यक्ष (अधिकतम 10) और छात्रों/युवा वैज्ञानिकों (35 वर्ष से कम आयु वाले) (अधिकतम 6) की यात्रा और ठहरने पर खर्च को पूरा करना	2.50	3.50
	iv. स्थानीय आतिथ्य की सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ (अधिकतम दो)	–	250

	ख. कागजात/कार्यवाहियों का मुद्रण		
	v. परिपत्रों/आमंत्रित व्याख्यानों/उद्धरणों का मुद्रण और कार्यवाहियों/तकनीकी कागजात का मुद्रण	1.50	2.50
	कुल	6.00 (स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि 5.00 लाख रूपये तक सीमित की जाएगी)	12.00 (स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि 10.00 लाख रूपय तक सीमित की जाएगी)
19.	यदि विदेशी प्रतिभागी आमंत्रित किए जा रहे हैं तो क्या निम्नलिखित से उनकी प्रतिभागिता की स्वीकृति ली गई है:		
	i. आयोजक का प्रशासनिक/नोडल मंत्रालय		
	ii. विदेश मंत्रालय		
	iii. गृह मंत्रालय		
20.	उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से अनुदान के लिए आवेदन किया गया है ? यदि हां, तो कृपया सूचित करें:		
	i. संबंधित प्राधिकरण/प्राधिकरणों का/के नाम		
	ii. किस प्रयोजन के लिए अनुदान मांगा गया है		
	iii.. प्राप्त अनुदान की राशि		
21.	क्या परिषद के निबंधनों और शर्तों पर सोसाइटी/ऐसोसिएशन/संस्थान को अनुदान स्वीकार्य है हां/नहीं		

आवेदक के हस्ताक्षर एवं
नाम तथा पदनाम

प्रयोजक प्राधिकारी के हस्ताएक्षर एवं
नाम तथा पदनाम

स्थान और तारीख

प्रमाण–पत्र

क) ऊपर दी गई सूचना सही है;

ख) यदि दी गई सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो मैं सहायता की पूरी राशि परिषद को वापस करने का वचन देता हूं;

ग) प्राप्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गई है;

घ) मैं इस संबंध में परिषद के सभी निर्णयों का पालन करूंगा; और

ङ) प्रमाणित किया जाता है कि .....(व्यावसायिक निकाय/सोसाइटी का नाम) स्कीम के सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेगा।

च) जांच सूची संलग्न है

सोसाइटी के अध्यीक्ष एवं सचिव/संस्थान के प्रधान/कुलपति के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर

दिनांक
स्थान

अनुबंध–I क

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भाकृअप से वित्तीय अनुदान लेने के लिए आवेदन का संक्षिप्त प्रपत्र

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
नीति आयोग पंजीकरण संख्या और तारीख		
1.	कार्यक्रम का शीर्षक एवं तारीख, स्थान और आयोजकों का नाम	
2.	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	
3.	पृष्ठकभूमि (कार्यक्रम आयोजित करने का आधार) जो कुल 30 शब्दों् के 3 वाक्यों से अधिक नहीं हो	
4.	कार्यक्रम का मुख्य ध्येय	
5.	विचार–विमर्श के मुख्य विषय, 5 बुलेट पाइंट से अधिक नहीं	
6.	आमंत्रित वक्ताओं की सूची (केवल विशेष आमंत्रिती)	
7.	प्रत्याशित परिणाम	
8.	प्रतिभागियों की संख्या/अनुसूचीः राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय और कार्यक्रम की अवधि	
9.	परिषद से मांगी गई वित्तीय सहायता। अन्य स्रोतों, यदि कोई हो, से वित्तपोषण के संबंध में सूचना। ब्यौरा दें कि भाकृप से मांगी गई वित्तीय सहायता का कैसे उपयोग किया जाएगा।	
10.	क्या विचार–विमर्श की कार्यवाहियों को पूरी लम्बाई के पृष्ठों, उद्धरणों या केवल सार रूप में प्रकाशित किया जाएगा और कब किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन के बाद प्रकाशन की समय अनुसूची दें।	
11.	क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भाकृअप से कोई वित्तीय सहायता ली गई है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा और एयूसी के प्रस्तुत करने की तारीख सूचित करें।	

अनुबंध–II

पशु विज्ञानों एवं संबद्ध विषयों सहित कृषि में जर्नल्स के प्रकाशन हेतु वैज्ञानिक सोसाइटियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वित्तीमय सहायता की मांग करने हेतु आवेदन

1.	जर्नल का नाम		
2.	पूरे पते के साथ वैज्ञानिक सोसाइटी का नाम		
3.	टेलिफोन/फैक्स संख्या एव ई–मेल आईडी सहित उस पदाधिकारी का नाम एवं पूरा पता जिसके साथ पत्र–व्यवहार किया जा सकता है		
4.	स्था.पना का वर्ष		
5.	क्या. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 अथवा राज्य/केन्द्रीय कानून (पंजीकरण संख्याा एवं तारीख दी जाए) के तहत इसका पंजीकरण किया गया है (यदि लागू हो)		
6.	क्या यह सोसाइटी नीति आयोग के साथ पंजीकृत है। कृपया निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध कराएं		
	i. पीएएन संख्यास		
	ii. नीति आयोग से प्राप्त पंजीकरण संख्या		
	iii. हस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित कार्यकारी समिति सदस्य की आधार संख्या		
7.	सदस्यता शुल्क एवं सदस्यों की संख्या का विवरण दें	शुल्क (रू.)	संख्या
	i. आजीवन सदस्य		
	ii. संस्थागत सदस्य		
	iii. वैज्ञानिक सदस्य		
	iv. विद्यार्थी सदस्य		
	v. अन्य सदस्य (विशेष रूप से उल्लेख करें)		
	कुल		
	vi. सदस्यता शुल्क के रूप में एकत्रित धनराशि (विगत वर्ष में)		

8.	सोसाइटी के कार्य के प्रमुख क्षेत्र			
9.	राष्ट्रीय स्तर सोसाइटी का महत्व एवं ट्रैक रिकॉर्ड; संस्था द्वारा की गई गतिविधियों का सारांश एवं भावी कार्यक्रम			
	क. की गई गतिविधियों का सारांश			
	ख. विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए सम्मेलन/सेमिनार/संगोष्ठियां तथा उनके परिणाम/ बाद में की गई कार्रवाई			
	ग. विगत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित जर्नल, न्यू.ज लैटर एवं कार्यवाहियां			
	घ. अन्य तकनीकी प्रकाशन			
	ड. क्या भाकृअप पुस्तकालय में उपर्युक्ति प्रकाशनों की नियमित रूप से आपूर्ति की जाती है			
	च. भावी कार्यक्रम			
10.	सोसाइटी की कार्यकारी समिति/परिषद			
	i. संरचना			
	ii. नियुक्तिन हेतु चयन की विधि/ढ़ंग			
11.	संपादक मंडल की संरचना			
12.	गहन समीक्षा की प्रक्रिया (समीक्षकों का पैनल 13)			
13.	विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संगठन की वित्तीय स्थिति	वर्ष	रसीद (रू.)	व्यय (रू.)
14.	क्या इस संगठन के लेखों की विगत वर्ष हेतु लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है? यदि ऐसा है, उसकी एक प्रति संलग्न करें			

15.	यदि परिषद द्वारा स्वीरकृत हो तो क्या यह संस्था अनुदान का एक अलग खाता बनाने पर सहमत है?	

16. विगत तीन वर्षों के दौरान परिषद से पहले से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा तथा वह प्रयोजन जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था

वर्ष	अनुदान राशि	प्रयोजन (संक्षेप में)	किया गया कुल व्यय	उपयोग किए गए अनुदान की धनराशि	क्या परिषद ने एयूसी को स्वीकार किया है?	टिप्पणी

17.	वह जर्नल जिसके प्रकाशनार्थ परिषद से अनुदान मांगा गया था	
	क. जर्नल का शीर्षक एवं फोकस	
	ख. प्रकाशन की आवधिकता	
	i. जर्नल के प्रथम अंक के प्रकाशन की तारीख	
	ii. एक वर्ष में कितने अंकों का प्रकाशन किया जाता है।	
	iii. क्या जर्नल का प्रकाशन अद्यतन है? नवीनतम प्रकाशन की अंक संख्या एवं वर्ष	
	iv. विगत तीन वर्षों के दौरान एक अंक में प्रकाशित लेखों एवं पृष्ठों की औसत संख्यां	
	v. क्याा इस जर्नल के सभी प्रकाशित अंकों की दो प्रतियां भाकृअप पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।	
	vi. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एब्सट्रेक्टिंग/इंडेक्सिंग सेवाएं	
	ग. प्रकाशन की वर्तमान स्थिति	

	घ. 31 मार्च तक प्रकाशित अंतिम अंक एवं संख्या। एं (भाकृअप केवल उन्हीं जर्नल्स् को वित्ती सहायता उपलब्ध कराएगा जो अनुसूची से एक वर्ष से अधिक पीछे नहीं हैं)	
	ड. मुद्रणालय में अंकों की संख्या	
	च. वर्तमान वर्ष के दौरान निकलने वाले संभावित अंकों की संख्या	
18.	भारत एवं विदेश में जर्नल का कुल परिसंचार	
19.	विगत तीन वर्षों के दौरान सोसाइटी द्वारा भाकृअप से प्राप्त वित्तीय सहायता राशि तथा सोसाइटी द्वारा जर्नल की प्रकाशन पर किया गया कुल व्यय	

वर्ष	प्राप्ति यां	व्यय	एयूसी प्रस्तुत की गई है या नहीं? एयूसी की स्थिति बताएं

20.	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित व्यय	
21.	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित आय	
	क. सदस्यता शुल्कौ	
	ख. विक्रय	
	ग. अन्य स्रोत	
22.	परिषद से मांगी गई वित्तीय सहायता राशि	
	i. सचिवालय संबंधी सहायता	
	ii. संपादन संबंधी स्टाफॅ के लिए मानदेय	
	iii. स्टेशनरी का खर्च*	
	iv. मुद्रण एवं जिल्दसाजी का खर्च*	
	v. सर्वर सहायता हेतु किया गया आकस्मिक व्यय**	
	vi. अन्य (विशिष्ट उल्ल्ेख करें)	
	कुल	
	*ई–जर्नल्स् के लिए प्रतिपूर्ति योग्य नहीं; **ई–जर्नल्स के लिए प्रतिपूर्ति योग्य है।	

23.	क्या किसी अन्य स्रोत (स्रोतों) से उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु किसी सहायता के लिए आवेदन किया है? यदि ऐसा है तो कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं;	
	i. संबंधित प्राधिकरण/प्राधिकरणों का नाम	
	ii. प्रयोजन, जिसके लिए अनुदान मांगा गया है।	
	iii. मांगी गई अनुदान राशि	
	iv. प्राप्त अनुदान राशि	

सचिव के हस्ताथक्षर एवं नाम
प्रायोजक प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम

दिनांक एवं स्थान

प्रमाण–पत्र

क) ऊपर दी गई सूचना सही है;

ख) यदि दी गई सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो मैं सहायता की पूरी राशि परिषद को वापस करने का वचन देता हूं;

ग) प्राप्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गई है;

घ) मैं इस संबंध में परिषद के सभी निर्णयों का पालन करूंगा; और

ट) प्रमाणित किया जाता है कि .....(व्यापसायिक निकाय/सोसाइटी का नाम) स्कीम के सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेगा।

ठ) जांच सूची संलग्न है

सोसाइटी के अध्यक्ष एवं सचिव/संस्थान
के प्रधान/कुलपति के हस्ताक्षर
और कार्यालय की मुहर

दिनांक
स्थान

अनुबंध III

जांच सूची

(सम्मेलन/संगोष्ठी/कॉन्फ्रेंस के आयोजन हेतु)

क्र.सं.	मानदंड	अनुपालन		टिप्पणी
		हां	नही	
1.	क्या नीति आयोग के साथ पंजीकृत है?			
2.	क्या आवेदन भाकृअप के निर्धारित प्रपत्र में है?			
3.	क्या आवेदन सोसाइटी के मुख्यालय द्वारा अग्रसारित है?			
4.	क्या आवेदन के साथ एयूसी प्रस्तुत किया गया है?			
5.	क्या सोसाइटी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार पंजीकृत है?			
6.	क्या आवेदन, भाकृअप द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत किया गया है?			
7.	क्या सोसाइटी/निकाय, अनुदान 1/2/3 वर्ष की बारंबारता के मानदंड को पूरा करती है?			
8.	क्याा आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं?			
9.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के मामले में, क्या नोडल मंत्रालय तथा गृह तथा विदेश मंत्रालयों से पूर्व–स्वीकति प्राप्त की गई है?			
10.	गैर–सरकार संगठन के मामले में, क्या् शैक्षणिक निकाय/व्यावसायिक सोसाइटी से सहयोग हेतु वचन पत्र लिया गया है?			
11.	क्या सम्मेलन/संगोष्ठी/कॉन्फ्रेंस का विषय भाकृअप के अधिदेश के अनुरूप है?			
12.	क्या निम्न लिखित दस्तावेज संलग्न हैं?			
	क. सोसाइटी के पंजीकरण की प्रति			
	ख. परिषद की सहायता से आयोजित पूर्ववर्ती कार्यक्रम की कार्यवाही की दो प्रतियां			

क्र.सं.	मानदंड	अनुपालन		टिप्पणी
		हां	नही	
	ग. विगत तीन वर्षों के लिए सोसाइटी के लेखों का लेखा–परीक्षा किया गया विवरण			
	घ. आय एवं व्यय का लेखा परीक्षा किया गया विवरण तथा परिषद से प्राप्त पूर्ववर्ती अनुदान की एयूसी			
	ड. कार्यक्रम की घोषणा की विवरणिका/प्रति			
	च. आयोजन समिति के सदस्यों की सूची			
	छ. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के मामले में, नोडल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से प्राप्त स्वीकति पत्रों की प्रतियां			
	ज. तकनीकी सत्रों का विस्तृत कार्यक्रम			
	झ. गैर–सरकारी संगठनों के मामले में सहयोग के लिए शैक्षणिक निकाय से वचन पत्र			

अनुबंध IV

जांच सूची

(जर्नल के प्रकाशन के लिए सहयोग)

क्र.सं.	मानदंड	अनुपालन		टिप्पणी
		हां	नही	
1.	क्या नीति आयोग के पास पंजीकृत है			
2.	क्या आवेदन भाकृअप के निर्धारित प्रपत्र में किया गया है?			
3.	क्या आवेदन सोसायटी मुख्यालय द्वारा अग्रेषित किया गया है?			
4.	क्या आवेदन के साथ एयूसी प्रस्तुत किया गया है?			
5.	क्या सोसायटी द्वारा जर्नल नियमित रूप से यथा समय प्रकाशित किया जाता है?			
6.	क्या आवेदन भाकृअप की निर्धारित अन्तिम तारीख से पूर्व प्रस्तुत किया गया है?			
7.	क्या आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?			
8.	क्या जर्नल एनएएएस रेटिंग के अनुसार क/ख/ग श्रेणी में आता है?			
9.	क्या जर्नल की थीम भाकृअप के अधिदेश के समरूप है?			
10.	क्या जर्नल में केवल संदर्भित लेख ही प्रकाशित होते हैं?			
11.	क्या निम्न लिखित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं?			
	क. सोसायटी पंजीकरण की प्रति			
	ख. जर्नल के नवीनतम अंक की दो प्रतियां			
	ग. सोसायटी के पिछले तीन वर्षों के खातों की लेखा–परीक्षित विवरणी			
	घ. आय और व्यय की विवरणी तथा परिषद से पूर्व में प्राप्त अनुदान का एयूसी			

अनुबंध V

भाकृअप द्वारा वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों को भेजे जाने वाले मंजूरी पत्र में सामान्यतः शामिल होने वाली निबंधन एवं शर्तें

1. मंजूर राशि की = निधि पहले संस्थांन को जारी की जाएगी और बाकी (राशि संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत संगोष्ठी/सेमिनार/सम्मेलन पर फीडबैक (जहां कहीं लागू हो), लेखा–परीक्षित प्रमाण–पत्र तथा राष्ट्रीय/अन्तनर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/सेमिनार/सम्मे लन अथवा जर्नल के प्रकाशन पर हुए वास्त–विक खर्च के बिलों की प्राप्ति के पश्चात जारी की जाएगी।
2. अनुदान प्राप्त कर्ता संस्थान इसके द्वारा परिषद से प्राप्त अनुदान का अलग से समुचित लेखा रखेगा।
3. जर्नल के प्रकाशन के लिए अनुदान मैचिंग अनुदान आधार पर होगा अर्थात प्राप्त कर्ता सोसायटी भाकृअनुप से समान मात्रा में अनुदान प्राप्त करने के लिए जर्नल के प्रकाशन पर हुए खर्च का कम से कम 50% (4.2.2 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) उपलब्ध कराएगी।
4. सोसायटी के सचिव और लेखा परीक्षक (सनदी लेखाकार) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र (2 प्रतियां) के साथ निर्धारित मदों पर संगठन द्वारा खर्च की गई राशि और परिषद से प्राप्त उपरोक्त अनुदान राशि को विशेष रूप से दर्शाते हुए अनुदान की प्राप्ति के वर्ष (केलेंडर अथवा वित्तीय, जैसी भी स्थिति हो) के लिए संगठन के आय एवं व्यय खातों की लेखा परीक्षित प्रति संगठन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिकतम 31 जुलाई तक, जैसी भी स्थिति हो, परिषद को प्रस्तुत करनी होगी। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा प्रस्तुत लेखे में विशिष्ट प्रयोजन/प्रयोजनों के लिए अनुदान की उपयोगिता जिसके लिए परिषद द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है, स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
5. सोसायटी/संस्थान/संगठन द्वारा आयोजित सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन में भाग लेने के लिए परिषद, पंजीकरण प्रभार का भुगतान किए बिना अपने नामितियों को प्रतिनियुक्ता करेगी।
6. संगठन और/अथवा परिषद के लेखा परीक्षकों द्वारा दर्ज आपत्ति वाले व्यय के भाग के साथ–साथ अनुदान का अप्रयुक्तक भाग सूचना मिलने पर उनके द्वारा तत्काल परिषद को वापस लौटा दिया जाएगा।
7. जब तक पहले से ही प्राप्त अनुदान के संबंध में अनुदान प्राप्त सोसायटी द्वारा लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, संस्थान द्वारा उस संगठन को आगे कोई अनुदान मंजूर नहीं किया जाएगा।
8. यदि एक बार अनुदान मंजूर हो जाता है तो इसे अनुदान प्राप्त कर्ता संगठन के खाते में जारी करके इलेक्ट्रोनिक रूप में अंतरित कर दिया जाएगा। तदनुसार निधियों के ऑन–लाईन अंतरण को सुलभ बनाने के लिए बैंक के विवरण अनुबंध VIII के अनुसार उपलब्ध कराये जाएंगे। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए परिषद द्वारा विप्रेषित राशि का उपयोग उसी वर्ष के दौरान किया जाएगा।
9. इस प्रकार से मंजूर अनुदान को संगठन द्वारा उनकी वार्षिक रिपोर्ट/जर्नल में समुचित रूप से स्वीकार किया जाएगा।

10. आयोजित सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन की कार्यवाही और वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रकाशित जर्नल की प्रतियां नियमित रूप से निशुल्क सहायक महानिदेशक (तक. समन्वय) और पुस्तकालय अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 के पास भेजी जाएंगी।

11. जिन प्रयोजनों के लिए अनुदान मंजूर किया गया है उनको छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए सोसायटी/निकाय द्वारा परिषद के लिखित अनुमोदन के बिना पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अर्जित स्थायी और अर्ध–स्थायी अथवा प्रयुक्ता आस्तियों को निरस्त किया जाएगा।

12. परवर्ती वर्ष में जर्नल के प्रकाशन के लिए वार्षिक अनुदान के नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध–II) में आवेदन उस वर्ष की अधिकतम 31 जुलाई तक अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

अनुबंध–VI

सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों और अन्य संबंधित कार्यक्रमों पर वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक संस्थानों से फीडबैक रिपोर्ट और सिफारिशों के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रपत्र

1. आवेदक निकाय का नामः
2. सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन का शीर्षकः
3. स्थान एवं तारीख (तारीखें):
4. प्रतिभागियों की संख्याः भारतीय ..... विदेशी .....
5. खर्च की गई राशिः
6. भाकृअनुप द्वारा मंजूर अनुदान की राशिः
7. भाकृअनुप की मंजूरी संख्या और तारीखः
8. कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं (500 शब्द–):
9. परिणाम/सिफारिशें, 1500 शब्दों से अधिक नहीं:
10. मौजूदा उत्पादन, संरक्षण एवं प्रबंधन तकनीकें जिनमें सुधार की आवश्यकता है:
11. पहचाने गए प्रौद्योगिकी संबंधी अंतर/महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्रस्तावित कार्यवाही के क्षेत्रः
12. परिषद के लिए सिफारिशों की उपयोगिताः
13. सोसायटी/संगठन द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाहीः
14. अन्य कोई टिप्पणीः

नोटः उपरोक्त सूचना कार्यक्रम के आयोजन के 2 माह के अंदर अधिकतम 4–5 पृष्ठोंत में परिषद को प्रस्तुत की जानी चाहिए

अनुबंध–VII

वचन–पत्र

यह वचन दिया जाता है कि .....

थीम शीर्षक पर दिनांक ..... से दिनांक ..... तक स्थानि ..... पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/ संगोष्ठी/ सम्मेलन के लिए .....

..... नामक संस्थान (सहयोगी संस्थान/संगठन का नाम) .....

..... के साथ (आवेदक एनजीओ/संगठन का नाम) .....

सहयोग करने का इच्छुक है। हम कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपेक्षित तकनीकी सहयोग देने के साथ–साथ कार्यक्रम के तकनीकी विकास, समुचित सिफारिशों का प्रारूप तैयार करने और कार्यक्रम की कार्यवाही तैयार करने में सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे।

हस्ताक्षर

नाम : .....

पदनाम : .....

कार्यालय की मुहर

स्थान एवं तारीखः

अनुबंध–VIII

अनुदान के ऑनलाइन अंतरण के लिए बैंक विवरण

क्र.सं.	शीर्ष विवरण	
1.	बैंक का नाम	
2.	शाखा कोड और पता	
3.	लाभार्थी/संगठन एवं बैंक खाता संख्या	
4.	बैंक की माइकर संख्या	
5.	आईएफएससी कोड	
6.	अंतरित की जाने वाली राशि	
7.	इलेक्ट्रोनिक मोड (आरटीजीएस...)	
8.	पीएफएमएस आईडी (ICAR HQ योजना 1270)	

प्राधिकृत हस्ताक्षर

RULES AND GUIDELINES FOR GRANT OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THE SCIENTIFIC SOCIETIES AND ACADEMIC INSTITUTIONS FOR ORGANIZING NATIONAL/INTERNATIONALSEMINARS/SYMPOSIUM/ CONFERENCES AND PUBLICATION OF SCIENTIFIC JOURNALS

1.0 Name of the Scheme - Grant of financial assistance by the ICAR to the Scientific Societies and Academic Institutions for organizing Seminars/Symposia/ Conferences and other related events and publication of Scientific Journals

2. 0 Main Objective of the Scheme:

To meet part of the expenditure incurred on publication of scientific journals and for holding seminar/symposium/conference/congress and any other related event (except the AICRP workshops) out of the Plan Funds of the ICAR with a view to promote excellence in research/ education/extension education/policy issues in the broad field of agriculture and allied sciences.

3.0 Eligibility Criteria – The following organizations are eligible for the grant:

3.1 *Scientific/professional societies/associations:*

3.1.1 Should be registered under the Registration of Societies Act, 1860 or such other Act of the State Governments

3.1.2 Actively involved in promotion of research/education/extension education in the broad field of agriculture and allied sciences

3.1.3 Should have their membership open to all eligible citizens of India as per rules, irrespective of any region, religion, race, gender, caste, creed or language

3.1.4 Those having more than 100 members will only be eligible for the assistance unless being formed in a specialized/emerging discipline or subject and proper justification is provided thereon.

3.2 Public/Quasi-public organizations

3.2.1 Those which are conducting research/education/extension education in the field of agriculture and allied disciplines and recognized by the ICAR

3.2.2 Those which have their membership open to all eligible citizens of India without any distinction of region, religion, race, gender, caste, creed or language

3.2.3 Funds to the NGOs/non-academic bodies to be given only if they are registered under the Societies Registration Act 1860 and organize the event in collaboration with duly recognized/registered academic bodies/professional societies. NGOs/non-academic bodies will be

required to submit an undertaking of collaboration from the academic/ professional bodies before entertaining their requests for grant of funds [Annexure- (VII)].

3.3 ICAR Headquarters and ICAR Institutes

3.4 State Agricultural Universities

3.5 General Universities – which are involved in Post-graduate teaching and research in agriculture and allied sciences and have been established by an act of either the State Legislature or the Parliament or are recognized by the U.G.C.

4.0 Nature and quantum of grant

4.1 *Nature of grant*

4.1.1 For Publication of Journal to Scientific/Professional Societies

4.1.2 For holding National/International Symposium/ Seminar/ Conference on the theme chosen by the Scientific Societies, Public/Quasi-public bodies and General Universities having post-graduate teaching and research in agriculture and allied sciences

4.1.3 For holding National Seminar/Symposium/Conference and other related events on the ICAR Identified Priority Theme Area by the Scientific/Professional Societies, Public/quasi-public bodies, ICAR Headquarters and its Institutes, Agricultural Universities and General Universities having post-graduate teaching and research in agriculture and allied sciences.

4.1.4 For sponsoring Priority Theme Areas of topical relevance and importance for holding of national seminar/symposium/conference within a specific period, to get useful and implementable recommendations. ICAR will widely circulate, including on its website, the list of such areas to all institutes (including ICAR institutes), universities including general as well as agricultural universities, and scientific societies for seeking good proposals to organize the seminar/ symposium. The selection of a suitable hosting institution will be on competitive basis.

4.2. *Quantum of grant*

4.2.1 For holding seminar/symposium/conference any other related event, the quantum of financial assistance to individual society/association/ institution will be determined after taking into account its relevance and performance as also merit of the proposal. The financial assistance will, however, not be more than ₹ 5.0 lakhs for holding national seminar/ symposium/ conference on the topic chosen by the grantee body or the priority theme area suggested by the ICAR*. The amount for international event will be determined on case to case basis, but will not exceed 10.00 lakhs.

*Technical Coordination Division will request the SMDs to propose a list of priority theme areas which will be compiled and updated every year.

The recipient body qualifies for the specified grant for holding: (i) the National event, if the number of participants is >100 and (ii) for organizing an International event, also if the number of participants is >100 and of which a minimum 5% should be from other countries. In case, the number of participants is <100, qualifying amount will be on pro-rata basis. No financial assistance will be extended, if the number of participants is <50.

The grantee Institution/Society/Body will give an undertaking on submission of the AUC within six months of holding the event. In case, the AUC is not received within the stipulated time, the recipient Institution will be liable to refund the amount already received. In instances where the grant already received is not repaid within 3 months, appropriate administrative and legal action will be initiated. Such societies/organization will also be debarred from further financial assistance from the Council.

AUC to be issued by CAG empanelled Charted Accounted (CA) firms only and ICAR may conduct post audit in selected cases.

4.2.2 For publication of journals, the amount of assistance will be 3.0 lakhs for 'A' category journals (NAAS Rating: 6.0 and above), 2.0 lakhs for 'B' category journals (NAAS Rating: between 4.5 and< 6.0), and 1.50 lakhs for 'C' category journals (NAAS Rating: between 3.0 and <4.5). No financial assistance will be provided to the journals having the NAAS rating < 3.00

Only professional registered societies qualify for financial support for publication of the Journals

The grantee Professional Society/Body will give an undertaking on submission of the AUC within six months after publication of the last number of the yearly volume. In case, AUC is not received within the stipulated time, the Society will be liable to refund the amount already received. In instances where the grant already received is not repaid within 3 months, appropriate administrative and legal action will be initiated. Such Societies will also be debarred from further financial assistance from the Council.

AUC to be issued by CAG empanelled Charted Accounted (CA) firms only and ICAR may conduct post audit in selected cases.

4.2.3 The grant for publication of a journal will be on matching basis, i.e. the recipient society will also have to incur at least 50% of the expenditure related to publication of the journal as a whole as a matching grant

4.2.4 The Council's support to a Society for publication of Journal will be restricted to only one Journal

4.3 **Frequency of grant:** A registered Society/Association/Body/ SAU/ General University will be eligible for Council's financial assistance for holding a National or International seminar/ symposium/conference and other related events for not more than once in a year. Journals will be eligible for annual grant as per Rule 3.0 and 4.2

5.0 **Purpose and Utilization of Grant**

5.1 ***For publication of scientific journals (Hard Copy/Online)****(Details in Annexure II)*

5.1.1 Secretarial assistance

5.1.2 Honorarium to editorial staff

5.1.3 Stationery including cost of paper, postage and duplication of articles; not allowed, if the journal is published electronically (on-line journals)

5.1.4 Cost of printing and binding etc.

5.1.5 Incidental expenses such as cost of freight from the printing press to the registered office of the concerned organization; not allowed, if the journal is published electronically (on-line journals)

5.1.6 Incidental expenses, will also include server hosting charges in case of on-line journals

5.2 ***For holding of seminars/symposia/conferences and any other related event****(details in Annexure I)*

5.2.1 Secretarial assistance

5.2.2 Stationery

5.2.3 Incidental expenses e.g. hiring of transport, audio-visual equipment and auditorium

5.2.4 Organizing scientific exhibitions/poster presentations

5.2.5 Printing of Circulars/Abstracts/Proceedings/ Invited Lectures

5.2.6 Meeting travel expenses for invitees at National and International symposia/Seminars/Conferences for not more than a total of sixteen persons of whom ten will be Speakers/Chairpersons, and six young scientists/Ph.D. students (below 35 years of age) whose presentations (oral or poster) were adjudged best by a properly constituted committee. The number of outside experts will be limited to a maximum of two and that too for meeting the cost local hospitality only

6. Procedure for submitting application

6.1 Separate applications will be made for financial assistance for holding symposia/seminars/conferences, and for publication of Journal

6.2 The application should be made on the pro forma prescribed by the ICAR **[Annexure I, Annexure IA and Annexure II]**, copy of which can be obtained on request or downloaded from the ICAR website www.icar.org.in. The completed pro forma is required to be submitted for consideration in each case of grant for Journal by 15th September every year and for grant for National/International events as per deadlines given under 6.6.

6.3 Before submitting the application, the society/organization should ensure that the Audit Utilization Certificate (AUC) of the grant(s) released by the Council in the previous years if any, has been submitted to and acknowledged by the Council. No grant will be sanctioned or released to any society/organization which has failed to submit A.U.C. in respect of grants made earlier.

6.4 The application shall be counter signed by the President/Chairperson/ Head of the Institution/Vice-Chancellor of the University. Preferably, application should be submitted online or by e-mail

6.5 The applications which do not satisfy the conditions or are incomplete will not be considered. A list of such applications will however, be put up to the Standing Committee for information.

6.6 No application for holding of seminars/symposia/ workshops/ conferences will be entertained if it is received after the time frame given below:

National events:

For national events, it would be not less than three (3) months before the date of Seminar/Symposia/Workshops/Conferences.

International events:

For international events, it would be not less than six (6) months before the date of Seminar/Symposia/Workshops/Conferences.

6.7 For publication of journal (Annexure II)

The societies/bodies requesting for annual financial assistance from the Council for publication of journal should submit at least two copies of the latest issue of the journal, which should not be more than one year behind the schedule along with application and AUC as per 6.2, 6.3 and 6.4. For renewal of Annual Grant in subsequent years, application in the prescribed pro forma (Annexure II) will have to be submitted latest by 31st July of that year.

6.8 Applications which do not satisfy the conditions or are incomplete will not be considered. A list of such applications will however, be put up to the Standing

Committee for information.

6.9 **A Society having a valid Registration Number under the Societies Act 1860 and registered with the Niti Ayog would be eligible to receive grant from the ICAR. The society should be active and is performing as per its constitution.**

6.10 It is necessary to submit duly filled in check list [Annexure IV] along with the application, failing which the application will not be accepted.

6.11 It will be mandatory on the part of organizing society/body to obtain prior approval at least three months in advance, of the nodal Ministry as well as Ministry of Home and External Affairs. No request for release of financial assistance for International seminars/symposia/ conferences shall be further processed by the Council before such approval is made available.

7. Evaluation of application in the ICAR

7.1 *For publishing Journal*

7.1.1 The standard of the journal for the purpose of grants will be adjudged on the basis of NAAS rating of the journal and will be placed in any of the three categories viz. A, B and C. The quantum of assistance will be decided according to the category as mentioned earlier (4.2.2).

7.1.2 Based on evaluation criteria, the journal will be placed in any of the three categories viz. A, B and C and the quantum of assistance will be provided according to the category. The journals which do not fall even in 'C' category, will not be given assistance.

7.1.3 The standard of the journals receiving assistance from the Council will be reviewed periodically based on NAAS Rating. The journals (B and C category) which show significant improvement may be upgraded, while those which show consistently marked deterioration and fail to improve the quality may be downgraded /phased out.

7.2 ***For holding National/International Symposium/Seminar/ Conference (Annexure I and IA)***

7.2.1 Does the theme have a distinct relevance to the ICAR mandate? It may be specified.

7.2.2 What is the scientific structure of the theme and also details of resource persons, number of participants (Indian and Foreign), etc.?

7.2.3 Has any attempt been made by any other organization in the past to address this issue? If so, what has been the tangible outcome and how will the proposed theme strengthen further the programme?

7.2.4 What is the professional standing and track record of the proposing body?

7.2.5 Has the proposing body organized any such event in the past? If so, the details of scientific programme, resource persons (Indian and foreigners), outcome of the programme, expenditure incurred, benefit(s) accrued to science, country, region or world, etc.

7.2.6 How is expected outcome aimed at tackling national, regional and global issues?

7.2.7 Has the organization submitted duly filled in Check List [Annexure III] along with the application, failing which the application will not be accepted.

Total estimated expenditure? Quantum of support requested from the ICAR and other agencies/sources to be provided in Annexure I.

8. Processing of the application in the ICAR

8.1 All the applications which are complete will be processed on file by the Technical Coordination Section of ICAR. Comments of concerned Subject Matter Division will be obtained as regards technical suitability in view of national perspective and importance of the theme of the proposed seminar/symposium/conference, and about the suitability with regard to quality of journals which were not included in the ICAR existing list of journals eligible to receive financial assistance for publication, and the amount of grant, in case recommended, for ICAR's financial support. Such new journals will then be placed before a sub-committee for further evaluation of their quality. Later, the applications with the recommendations of the SMDs/Sub-Committee will be placed for consideration of the ICAR Standing Committee. Approval of the DG, ICAR will be sought on file on the recommendations of the ICAR Standing Committee.

8.2 All proposals/requests for holding a seminar/symposium or for printing and publication of journals, etc. once approved for financial assistance, shall not be included in the agenda for additional grant for the same purpose unless specifically mentioned in the proceedings of the previous meeting and approved by the competent authority.

8.3 The Director General, ICAR may sanction grants in favour of societies/ bodies, in exceptional cases in anticipation of the Standing Committee's approval, to be subsequently ratified by the Standing Committee.

9. Issue of sanction by the ICAR indicating various conditions

9.1 Sanction for the financial assistance as approved by the competent authority will be issued which will include specific terms and conditions as detailed in **Annexure V.**

9.2 In order to obtain feedback, the Council will depute/nominate scientist(s) from the ICAR to every symposium/seminar/conference to which it has provided financial assistance without payment of the registration charges. Nominations may be made from the nearby ICAR Institutes, if it is not possible from the ICAR Headquarters.

10. Undertaking to be given by the grantee Society/Institution.

The grantee society/institution will have to give an undertaking that it agrees to be governed by the conditions of the grant and also to intimate in detail, about the creation or acquisition of permanent or semi-permanent assets resulting from the grant.

11. Release of grant

The financial assistance to the Society/Body will be released on their acceptance of the terms and conditions as contained in the sanction letter. Initially, ¾th amount of total sanctioned grant will be released by the Council, provided the AUC for ICAR grant received in previous year if any, and two copies of the latest issue of the journal (not more than one year behind the schedule) are made available by the society/ body in the Council. All efforts would be made to release the grant about one month before holding of national/international seminar/ symposium/ conference. The balance amount (¼th) will be released on receipt of the AUC for the grant received from the Council and the feedback in the prescribed pro forma **[Annexure VI]** and detailed proceedings of the seminar/symposium/ conference and any other related event.

12. Maintenance of Accounts by the grantee Society/Body/University/ Institution.

12.1 The grantee society/body/university/institution will maintain a proper account of the grant received by it from the Council.

12.2 The grantee society/body will be required to submit its annual accounts, duly Audited by a recognized Auditor/Statuary Auditor together with the Audited Utilization Certificate to the Council by July of the succeeding year.

12.3 The account submitted by the grantee society/body will clearly reflect the utilization of the grant for the specific purpose/purposes for which it is sanctioned by the Council.

12.4 Unless the AUC submitted by the grantee society in respect of the grant already received is accepted by the Council, no further grant will be sanctioned by the Council to that organization.

12.5 The grant released for a particular year shall be utilized only during that year. However, if for any reason, the society/body/institution is not able to utilize the grant in that particular year, the same will be refunded to the Council.

12.6 The assets acquired by the grantee society/body/institution, wholly or substantially out of the grant given by the Council would not, without the prior approval of the Council, be disposed of, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant was sanctioned.

12.7 The grantee society/body/institution will be required to maintain in the form G.F.R. 19 a register of the permanent and semi-permanent assets acquired wholly or substantially out of the Council's grant and a copy thereof, furnished to the Council annually.

13. Monitoring of the output of the activity/event and follow-up action in case of seminar/symposium/ conference

The society/institution/body will be required to submit a feedback report in the prescribed proforma [**Annexure VI**] along with the proceedings of the seminar/symposium/conference within two months. Societies/ bodies will be required to send the recommendations of the seminar/ symposium/conference etc. to the concerned organization/institution for implementation under intimation to the ICAR. Comments of concerned DDG will be obtained on the feedback report and proceedings and the balance amount (¼th of the total sanctioned) will be released on satisfactory comments and the receipt of AUC of the sanctioned grant. The Council may also communicate relevant recommendations to its' institutes for consideration and inclusion in their programmes.

14. The Director-General, Indian Council of Agricultural Research will have the power to relax any of the conditions mentioned above, for reasons to be recorded in writing.

Annexure I

Application Form for seeking Financial Assistance by the Scientific Societies and Academic Institutions for holding National/International seminars/Symposia/ Conferences and other related events in agriculture including animal sciences and allied subjects

1.	Level of event	National/International	
2.	Title of the Seminar/Symposium/Conference		
3.	Name of the Scientific Society /NGO/Academic Institution with full address		
4.	Name and full address of the office bearer with whom correspondence may be made, together with the telephone and e-mail address		
5.	Year of establishment		
6.	Whether registered (if applicable) under the Societies Registration Act 1860 or any similar Act of Central/State Legislature (Give Registration number and date)		
7.	Whether the society registered with the NITI Aayog. Please provide the following details:		
	i. PAN number		
	ii. Registration No. obtained from the NITI Aayog		
	iii. AADHAR No. of signatory and relevant Executive Committee Member		
8.	Describe the Membership Eligibility Criteria		
9.	Membership fee and number of members	Fee (Rs)	Number
	i. Life members		
	ii. Institutional members		
	iii. Scientist members		
	iv. Student members		
	v. Other members (specify)		
	Total		
10.	Amount collected as membership fee during last year		
11.	Main areas of work of the Society/Institution		

12.	Summary of the activities undertaken by the organisation and its future programmes	
	i. Conferences/Seminars/Symposia organized during the last three years and their outcome/ follow up action	
	ii. Journals, Newsletters & Proceedings brought out during the last three years	
	iii. Other Publications, e.g. Pamphlets, Brochures, Leaflets etc. brought out during the last three years	
	iv. Future programmes	
	v. Whether copies of the above mentioned publications are being supplied regularly to the ICAR library	
13.	Executive Committee/Council of the Society	
	i. Current position	
	ii. Mode of Election/Manner of appointment	

14.	Financial position of the Organization during the last three fiscal years		
	Year	Receipt (Rs)	Expenditure (Rs)

15.	Whether the accounts of the organization for the previous year have been audited by the auditors. If so, copy thereof may be enclosed
16.	Whether the organization agrees to maintain a separate account of the grant, if sanctioned by the Council
17.	Details of financial assistance (in Rs) already received from the Council during the last three years and the purpose for which it was received

Year	Amount of grant	Purpose (in brief)	Total expenditure incurred	Amount of grant utilized	Has Council accepted AUC?	Remarks

18.	Details of financial assistance (for holding National event: maximum limit is Rs 5.00 lakhs and International event maximum limit is Rs 10.00 lakhs)		
	Item of expenditure	National event	International event
A.	**Holding a Seminar/ Symposium/ Conference and other related event**	**Rs (lakhs)**	**Rs (lakhs)**
i.	Secretariat assistance; stationery (including cost of paper, postage and duplication of articles); incidental expenses (e.g. hiring of transport and audio-visual equipment, rent for facilities related to holding of the event including that incurred for open-ground pandal/auditorium).	1.50	2.50
ii.	For organizing poster presentations	0.50	1.00
iii.	Meeting travel and boarding expenses of special invitees, National Experts/Speakers/ Chairman (Max. 10) and Students/Young Scientists (below 35 years of age) (Max. of 6).	2.50	3.50
iv.	International Experts to the extent of local hospitality (maximum two)	-	2.50
B.	**Printing of Papers/Proceedings**		
v.	Printing of circulars/invited lectures/ abstracts and printing of Proceedings/Technical papers etc.	1.50	2.50
	Total	6.00 (total amount to be sanctioned will be limited to Rs 5.00 lakhs)	12.00 (total amount to be sanctioned will be limited to Rs 10.00 lakhs)
19.	In case foreign participants being invited, whether the clearance for their participation has been obtained from		
	i. Administrative/Nodal Ministry of the organizer		
	ii. External Affairs Ministry		
	iii. Home Affairs Ministry		

20.	Has a grant for any of the above purposes been applied for from any other source s? If so, please provide:	
	i. Name(s) of the Authority/Authorities concerned	
	ii. Purpose for which grant has been sought	
	iii. Amount of grant sought	
	iv. Amount of grant received	
21.	Whether the grant is acceptable to the Society/ Association/Institution on the terms and conditions of the Council Yes/No	

Signature and name of the Applicant with designation

Signature and name of the Sponsoring Authority with designation

Date:
Place:

CERTIFICATE

a) The information given above is correct;

b) If the information supplied is found to be incorrect on later date, I undertake to refund the entire amount of assistance to the Council;

c) The amount received will be utilized for the purpose(s) for which it is sanctioned;

d) I shall abide by all the decisions of the Council in this regard; and

e) Certified that ..... (Name of Professional body/ society) shall abide by all terms and conditions of the scheme.

f) Check List is attached.

Signature of the President
or Secretary of Society/ Head of the Institution/
Vice-Chancellor with seal of Office

Date:
Place:

Annexure IA

Summary format of application on seeking financial grant from the icar for holding national/international seminar/ symposium/conference and any other related event

S.No.	Particulars	Details
	NITI Aayog Registration Number and Date:	
1.	Title of the event with date, venue and name of the organizers.	
2.	National/International	
3.	Background (give rationale for holding the event), in no more than 3 sentences of 30 total words.	
4.	Main Goal of the event	
5.	Main topics for deliberations, in no more than 5 bullet points	
6.	Invited speakers list (Special invitees only)	
7.	Expected output	
8.	Participants Number/schedule: National/ International and duration of the event.	
9.	Financial support sought from the Council. Give information on funding from other sources, if any. Give details on how the financial support requested from the ICAR will be utilized.	
10.	Whether the proceedings representing full-length papers, abstracts or only summary of the deliberations will be published and when with time frame after holding the event.	
11.	Whether received any financial support from ICAR during the previous three years, if so, details thereof and the date of submission of AUC	

Annexure II

Application for seeking Financial Assistance by the Scientific Societies and Academic Institutions for publication of the Journals in Agriculture including Animal Sciences and Allied Subjects

1.	Name of the Journal		
2.	Name of the Scientific Society with full address		
3.	Name and full address of the office bearer with whom correspondence may be made with the telephone/FAX number and e-mail ID		
4.	Year of Establishment		
5.	Whether registered (if applicable) under the Societies Registration Act 1860 or any similar act of State/Central Legislation (Registration number and date to be given)		
6.	Whether the Society is registered with the NITI Aayog. Please provide the following details		
	i. PAN number		
	ii. Registration No. obtained from the NITI Aayog		
	iii. AADHAR No. of the Signatory and relevant Executive Committee Member		
7.	Describe membership fee and number of members	Fee (Rs)	Number
	i. Life members		
	ii. Institutional members		
	iii. Scientist members		
	iv. Student members		
	v. Other members (specify)		
	Total		
	vi. Amount collected as membership fee (during last year)		
8.	Main areas of work of the Society		
9.	National standing and track record of the Society: Summary of the activities undertaken by the organization and its future programs		
	a. Summary of the activities undertaken		

	b. Conferences/Seminars/Symposia organized during the last three years and their outcome/ follow up action	
	c. Journals, Newsletters & Proceedings brought out during the last three years	
	d. Other technical publications	
	e. Whether copies of the above mentioned publications are being supplied regularly to the ICAR library	
	f. Future programmes	
10.	Executive Committee/Council of the Society	
	i. Composition	
	ii. Mode of election/Manner of appointment	
11.	Composition of the Editorial Board	
12.	Process of Peer Review (Panel of Reviewers)	

13.	Financial position of the Organization during the last three fiscal years		
	Year	Receipt (Rs)	Expenditure (Rs)

14.	Whether the accounts of the organization for the previous year have been audited by the auditors. If so, copy thereof may be enclosed
15.	Whether the organization agrees to maintain a separate account of the grant, if sanctioned by the Council
16.	Details of financial assistance already received from the Council during the last three years and the purpose for which it was received

Year	Amount of grant	Purpose (in brief)	Total expenditure incurred	Amount of grant utilized	Has Council accepted AUC?	Remarks

17.	Journal for the publication of which grant is sought from the Council			
	a. Title and focus of the journal			
	b. Periodicity of the publication			
	i. Date of publication of the 1st issue of the journal			
	ii. How many issues are published in a year			
	iii. Whether the publication of the journal is up to date? Volume number and year of the latest issue			
	iv. Average number of papers and pages published in an issue of the journal during the last three years			
	v. Whether two copies of all published issues of the journal are being sent regularly to the ICAR library			
	vi. Coverage by National/International Abstracting/Indexing Services			
	c. Present status of publication			
	d. Last volume and numbers published up to 31st March(ICAR will provide financial assistance only for those journals which are not more than one year behind the schedule)			
	e. Numbers in press			
	f. Numbers proposed to be brought out during the current year			
18.	Total circulation of the journal in India and abroad			
19.	Amount of the ICAR financial support received by the Society and total expenditure by the Society on publication of the journal during the last three years			
	Year	Receipts	Expenditure	AUC submitted or not? Give status of AUC
20.	Estimated expenditure during the current financial year			
21.	Estimated income during the current financial year			
	a. Membership fee			
	b. Sale			
	c. Other sources			

22.	Amount of financial assistance sought from the Council	
	i. Secretarial assistance	
	ii. Honorarium to editorial staff	
	iii. Cost of stationary*	
	iv. Cost of printing and binding*	
	v. Incidental expenses paid for server support**	
	vi. Any other (specify)	
	Total	
	*Not reimbursable for e-journals; **Reimbursable in case of e-journals	
23.	Has a grant for any of the above purposes been applied for from any other source (s)? If so, please provide following information:	
	i. Name(s) of the Authority/ Authorities concerned	
	ii. Purpose for which grant has been sought	
	iii. Amount of grant sought	
	iv. Amount of grant received	

Signature and name of the Applicant with designation

Signature and name of the Sponsoring Authority with designation

Date:
Place:

CERTIFICATE

a) The information given above is correct;

b) If the information supplied is found to be incorrect on later date, I undertake to refund the entire amount of assistance to the Council;

c) The amount received will be utilized for the purpose(s) for which it is sanctioned;

d) I shall abide by all the decisions of the Council in this regard; and

e) Certified that ..... (Name of Professional body/ society) shall abide by all terms and conditions of the scheme.

f) Check List is attached.

Signature of the President
or Secretary of Society/ Head of the Institution/
Vice-Chancellor with seal of Office.

Date:
Place:

Annexure III

Check List
(Support for holding Seminar/Symposium/Conference)

S No	Criteria	Compliance		Remarks
		Yes	No	
1	Whether registered with the Niti Ayog?			
2	Is the application in the prescribed pro-forma of the ICAR?			
3	Is the application forwarded by the Society Headquarter?			
4	Has the AUC been submitted with the application?			
5	Is the society registered as per society registration Act?			
6	Has the application submitted before the prescribed deadline of the ICAR			
7	Does the Society/body fulfil the criterion of frequency of grant 1/2/3 years			
8	Whether the application is signed by competent authority?			
9	In case of International event, has prior approval of the Nodal Ministry and Ministries of Home and External Affairs been obtained?			
10	In case of NGO, whether the undertaking from Academic body/professional society for collaboration been obtained?			
11.	Does the theme of the seminar/symposium/ conference align with the ICAR mandate?			
12	Whether following documents are enclosed?			
	a. Copy of Society registration			
	b. Two copies of the proceedings of previous event held with the Council's assistance			
	c. Audited statement of accounts of the Society for last three years			
	d. Audited income & expenditure statement and AUC of grant previously received from the Council			

	e. Broachers/Copy of Announcement of event			
	f. List of organizing Committee Members			
	g. In case of international event, copies of clearance letters from the Nodal, Home and External Affairs Ministries			
	h. Detail programme of Technical sessions			
	i. In case of NGOs, Undertaking from the Academic body for collaboration			

Annexure IV

Check List
(Support for Publication of Journals)

S No	Criteria	Compliance		Remarks
		Yes	No	
1.	Whether registered with the Niti Ayog			
2.	Is the application in the prescribed pro-forma of the ICAR?			
3.	Is the application forwarded by the Society Headquarter?			
4.	Has the AUC been submitted with the application?			
5.	Does the society publish the journal regularly well in time?			
6.	Has the application submitted before the prescribed deadline of the ICAR			
7.	Whether the application is signed by competent authority?			
8.	Does the Journal fall in A/B/C category as per NAAS rating?			
9.	Does the theme of the Journal align with the ICAR mandate?			
10.	Whether the Journal publishes only refereed articles?			
11.	Whether following documents enclosed?			
	a. Copy of Society registration			
	b. Two copies of the latest issues of the Journal			
	c. Audited statement of accounts of the Society for the last three years			
	d. Audited income & expenditure statement and AUC of grant previously received from the Council			

Annexure V

Terms and Conditions as normally contained in the Sanction Letter by the ICAR to the Scientific and Academic Institutions

1. 3/4th fund of the sanctioned amount shall be released to the Institution first and the remaining 1/4th amount shall be released later after receipt of feedback on the Symposium/ Seminar/Conference in the enclosed proforma (wherever applicable), Audited Utilization Certificate and the bills of the actual expenditure incurred on the National/International Symposium/Seminar/Conference or on publication of Journal.

2. The grantee Institution will maintain a separate and proper account of the grant received by it from the Council.

3. Grant for publication of journal is on matching grant basis i.e. the recipient society will also have to provide at least 50% of the expenditure on publication of journal to receive the equal grant (subject to the ceiling as 4.2.2) from the ICAR.

4. A copy of the audited income and expenditure accounts of the organization for the year of the receipt of the grant (Calendar or fiscal, as the case may be) showing therein specifically the above grant received from the Council and the expenditure incurred by the organization on the specified item(s) together with a Utilization Certificate (two copies), duly signed and countersigned by the Secretary and the Auditor (Chartered Accountant) of the Society respectively shall be furnished by the organization to the Council latest by 31st July following the close of the year as the case may be. The account submitted by the grantee Institution will clearly reflect the utilization of the grant for the specific purpose/ purposes for which it is sanctioned by the Council.

5. The Council will depute its Nominee(s) to attend the Seminar/Symposia/ Conference organized by the Society/ Institute/Organization without paying the registration charges.

6. The unspent portion of the grant as well as the portion of the expenditure objected to by the Auditor of the organization and / or the Council shall be refunded by them to the Council forthwith on receipt of a communication in respect thereof.

7. Unless the Audited Utilization Certificate submitted by the grantee society in respect of the grant already received is accepted by the Council no further grant will be sanctioned by the Council to that organization.

8. Once the grant is sectioned, it will be released and transfer effected electronically to the account of the grantee organization. Accordingly, bank details facilitating on-line transfer of fundswill be provided as per **Annexure VIII**. The grantee institution will ensure that the sum remitted by the Council for a particular year shall be utilized during that year only.

9. The grant hereby sanctioned shall be suitably acknowledged by the organization in their Annual Report/journal.

10. Two copies of the Proceedings of the Seminar/Symposium/Conference held and also, of journal published by them during the year, shall be supplied by them regularly, free of cost, to the Assistant Director General (Tech. Cdn.) and to the Librarian, Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi-110 001.

11. Without approval of the Council in writing, the permanent and semi-permanent assets acquired wholly or substantially out of the grant be disposed of, encumbered or utilized by the society/body for purposes other than those for which the grant is sanctioned.

12. For renewal of Annual Grant for publication of journal in a subsequent year, application in the prescribed proforma (Annexure II) will have to be submitted afresh latest by 31st July of that year.

Annexure VI

Format for Submission of Feedback Report and Recommendations from the Scientific and Academic Institutions on the Seminars/Symposia/ Conferences and other related events

1. Name of the Applicant Body:

2. Title of the Seminar/Symposium/Conference:

3. Venue and Date(s):

4. No. of Participants Indian ..... Foreigners .....

5. Expenditure incurred:

6. Amount of grant by the ICAR

7. ICAR's Sanction No. and Date:

8. Major Highlights of the event (500 words):

9. Outcome/Recommendations not more than 1500 words:

10. Existing production, protection and management techniques which need improvement:

11. Technological gaps/Thrust Areas identified and Areas of action proposed:

12. Usefulness of the recommendations for the Council:

13. Follow-up action undertaken by the Society/Organization or proposed to be undertaken:

14. Any other remarks:

Note: The above information is required to be furnished to the Council in not exceeding 4-5 pages within two months of the organization of the event.

Annexure VII

Undertaking

This is to undertake that .....(Name of the collaborating Institute/organization)..... is willing to collaborate with .....(Name of the applicant NGO/organization)..... for Holding of National/International seminar/symposium/conference on the theme entitled: ..... sheduled to be held on .....(Dates)..... at .....(Venue)..... We will extend technical support required for organization of the event as well as developing technical programme of the event, drawing suitable recommendations and bringing out the proceedings of the event.

Place and Date:

Signature

Name: .....

Designation: .....

Official Seal

Annexure VIII

Bank Details for On-line transfer of Grant

S. No.	Head	Details
1.	Name of the Bank	
2.	Branch code and address	
3.	Beneficiary/Organization and Bank account number	
4.	MICR number of the Bank	
5.	IFSC code	
6.	Amount being transferred	
7.	Electronic mode (RTGS…)	
8.	PFMS ID under ICAR HQ Scheme 1270	

Authorized signature

NOTES

भाकृअनुप
ICAR